



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

(जिला विकास शाखा)

दुरभाष सं०:-06532-222072


ई-मेल:- giridih.vikashshakha@gmail.com


आमंत्रित कोटेशन संबंधी अतिरिक्त सूचना

सी०सी०एल० के CSR मद अन्तर्गत गिरिडीह जिला हेतु दिनांक 22.05.2021 तक न्यूनतम 4000 पीस RTPCR कीट एवं दिनांक 25.05.2021 तक 25 Oxygen Mask एवं 50 Puls Oximeter के आपूर्ति हेतु चिकित्सा प्रक्षेत्र के इच्छुक उत्पादक/प्राधिकृत विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/कम्पनी संस्थान/फर्म से सशर्त प्रस्ताव/कोटेशन आमंत्रित की गई है।

वर्तमान कोविड महामारी एवं लॉकडाउन के परिपेक्ष्य में प्रस्तावकों की व्यक्तिगत उपस्थिति संबंधी बाध्यता को शिथिल करते हुए पूर्व निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त निम्नांकित प्रावधान किया जाता है :-

1. इच्छुक प्रस्तावक अपना प्रस्ताव ई-मेल आई.डी. giridih.vikashshakha@gmail.com के माध्यम से भेज सकते हैं।
2. तिथिवार निर्धारित सुरक्षित जमा राशि 5000.00 - 5000.00 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के स्थान पर RTGS के माध्यम से निर्धारित तिथि तक केनरा बैंक, गिरिडीह में DC CSR BCCL के नाम से संचालित खाता संख्या 3229101007735, IFSC Code : CNRB0003229 में हस्तांतरित कर ईमेल के माध्यम से संसूचित कर सकते हैं।
3. संबंधित प्रस्तावकों को Oxygen Mask एवं Puls Oximeter का नमूना दिनांक 28.05.2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक विशेष दूत या अन्य माध्यम से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि क्रय एवं मूल्यांकन समिति द्वारा आपके प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सके।


प्रभारी पदाधिकारी
जिला विकास शाखा,
गिरिडीह।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।


ज्ञापांक - 402/वि०, गिरिडीह, दिनांक 20 मई, 2021

प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आमंत्रित कोटेशन/प्रस्ताव की सूचना अपने नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित किया जाय।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आमंत्रित कोटेशन/प्रस्ताव की सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन, गिरिडीह/औषधी निरीक्षक, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रभारी पदाधिकारी
जिला विकास शाखा,
गिरिडीह।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।